Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर में बिजली विभाग का सहायक अभियंता व लाईनमेन 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *27 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाई माधोपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये महेश सैनी सहायक अभियंता ए–1 जेवीवीएनएल सवाईमाधोपुर तथा आशाराम मीणा लाईनमेन को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाई माधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कस्बा सवाई माधोपुर में निर्माणाधीन मेरे मकान के मैन गैट पर स्थित विधुत पोल को हटाने की एवज में बिजली विभाग के लाईनमेन आशाराम मीणा द्वारा सहायक अभियंता महेश सैनी व स्वंय के लिए 40 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सवाई माधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–महेश सैनी पुत्र हंसराज सैनी निवासी सांभरलेक जिला जयपुर, हाल सहायक अभियंता ए–1 जेवीवीएनएल सवाई माधोपुर तथा 2–आशाराम मीणा पुत्र घनश्याम मीणा निवासी गम्भीर तहसील/जिला सवाई माधोपुर, हाल लाईनमेन कार्यालय कनिष्ठ अभियंता आलनपुर जेवीवीएनएल सवाई माधोपुर को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के आवास व अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।